DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 दिसंबर, 2022

भारत में राष्ट्रीय पार्टी

❖ सन्दर्भ :-

➢ गठन के दस वर्ष बाद, आम आदमी पार्टी (आप) को, गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट शेयर और पांच सीटें प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला।

मुख्य बिंदु

● भारत में किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब प्राप्त होता है जब उस दल की उपस्थिति 'राष्ट्रीय स्तर पर' हो, न कि किसी क्षेत्रीय पार्टी जिसकी उपस्थिति केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित है।

● भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक आठ दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी गई है।

● चुनाव आयोग ने किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं।

● किसी भी दल द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना अथवा इस दर्जे से निष्कासन इन्ही तकनीकी मानदंडो पर निर्भर करता है।

● ईसीआई के राजनीतिक दलों और चुनाव चिह्न हैंडबुक 2019 के अनुसार
, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा यदि

- यह चार या अधिक राज्यों में 'मान्यता प्राप्त' है; या
- यदि इसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले हों और पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार सांसद हों; या
- यदि उसने लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम तीन राज्यों से , कम से कम 2% सीटें जीती हों।

राज्य पार्टी

● कोई राजनैतिक दल राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि -

- पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट-शेयर और कम से कम 2 विधायक हों; या
- उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट-शेयर हो और उस राज्य से कम से कम एक सांसद हो; या
- पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो; या
- प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम एक सांसद या लोकसभा में राज्य को आवंटित कोई अंश; या
- राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% हो।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में, केंद्र सरकार ने दो गैर-सरकारी संगठनों - राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

एफसीआरए के विषय में

- FCRA विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान से देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- एफसीआरए अधिनियम, को पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया तदोपरांत इसे वर्ष 2010 तथा वर्ष 2020 में संशोधित किया गया।
- FCRA का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा होता है।

● एफसीआरए के तहत पंजीकरण

- एफसीआरए पंजीकरण ,उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे होते हैं।
- गृह मंत्रालय को 90 दिनों के भीतर पंजीकरण के आवेदन को स्वीकृत या

एफसीआरए (संशोधन) अधिनियम, 2020

- इस संशोधन के द्वारा सूची में लोक सेवकों (भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित) को भी जोड़ा गया है।
- विधेयक विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है
- अधिनियम के अंतर्गत 'व्यक्ति' शब्द में एक व्यक्ति, एक संघ, या एक पंजीकृत कंपनी शामिल है।
- यह संशोधन अधिनियम आधार संख्या को अनिवार्य बनाता है।
- अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अस्वीकार करना आवश्यक है।

- एक बार प्रदान किए जाने के बाद, एफसीआरए पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है।

● **अनुमोदन रद्द करना**

- सरकार किसी भी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, यदि सरकार को पता चले कि वह संगठन एफसीआरए अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है।
- एक बार किसी एनजीओ का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद, वह तीन साल के लिए पुनः पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता।
- हालाँकि सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखाओं में FCRA खाते के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट खाते में ही विदेशी योगदान प्राप्त किया जाना चाहिए।

- समाप्ति के छह महीने के भीतर प्रमाणपत्र का नवीनीकरण अनिवार्य है।
- प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त कुल विदेशी धन का 20% से अधिक नहीं चुकाया जा सकता है। एफसीआरए अधिनियम 2010 में यह सीमा 50% थी।
- विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति के पंजीकरण के निलंबन को अतिरिक्त 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 2010 के एक्ट में यह सीमा 180 दिन तक ही थी। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है।

गामा किरण प्रस्फोट (जीआरबी)

❖ सन्दर्भ

➢ खगोलविदों की एक टीम ने हाल ही में एक दुर्लभ खगोलीय घटना दर्ज की है ; यह अपनी तरह की पहली घटना मानी जा रही है।

प्रमुख बिंदु :-

- 11 दिसंबर, 2021 को हुई यह घटना में एक किलोनोवा उत्सर्जन के साथ जुड़वा लंबे गामा किरण प्रस्फोट (जीआरबी) उत्सर्जित करने वाला एक कॉम्पैक्ट बाइनरी मर्जर ,के कारण हुई थी।
- भारत के सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप (- 3.6 मीटर) देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डीओटी) - आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), नैनीताल द्वारा संचालित उन प्रमुख वैश्विक टेलीस्कोपों में से एक था जिसने इस दुर्लभ संयोजन की पुष्टि की।
- इस परिघटना से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा प्रकाश के प्रस्फुटन की पहचान GRB211211A के रूप में की गई थी।

लघु जीआरबी क्या हैं?

- जब बाइनरी कॉम्पैक्ट सिस्टम की एक जोड़ी (दो ब्लैकहोल) घने आकाशीय पिंड या न्यूट्रॉन तारे - अरबों वर्षों के लिए एक सर्पिल आकृति में घूमते हैं, तो उनके विलय से लघु गामा किरणों का उत्सर्जन की ओर जाता है। यह उत्सर्जन दो सेकंड से भी कम समय तक रहता है।
- GRB , बड़े पैमाने पर अत्यंत उज्ज्वल, उच्च-ऊर्जा के लघु गामा विकिरण हैं।
- GRBs से जुड़ी ऊर्जा सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवनकाल में उत्सर्जित की जा सकने वाली ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है, जो हमारे ब्रह्मांड में सितारों के जीवन और मृत्यु को समझने के लिए इसके अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाती है।

किलोनोवा - यह न्यूट्रॉन तारों या किसी बाइनरी सिस्टम के विलय से निकलने वाला विकिरण है। जिसे लघु GRBs के साथ संबद्ध किया गया है।

दीर्घ जीआरबी क्या हैं?

- बड़े सितारे की मृत्यु की घटना के परिणामस्वरूप लंबे जीआरबी निकलते हैं।
- इससे संबद्ध गामा विकिरण दो सेकंड या उससे अधिक समय तक रहता है।

यह घटना अनोखी और दुर्लभ क्यों थी?

- इस घटना से होने वाला उच्च ऊर्जा प्रकाश का प्रस्फुटन 50 सेकंड से अधिक समय तक रहा।
- वैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष छोटे जीआरबी की सुपरनोवा से सम्बद्धत्ता के रूप में निकाला है।
- यह हमारी मिल्की वे के करीब एक अरब प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में घटित हुआ है।
- यह मानक गैर-तापीय विद्युत कानून से विचलित हुआ।
- इस घटना के आफ्टर-ग्लो गुण किलोनोवा की ओर झुक गए। इसका अर्थ यह हो सकता है कि लंबी और छोटी जीआरबी में कुछ प्रक्रियाएं एक समान होती हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 दिसंबर, 2022

संक्षिप्त सुर्खियां

निर्वाचन सुरक्षा जमा

Election
Security Deposit

❖ **सन्दर्भ :-**

➢ हाल ही में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में राज्य विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे भी प्रतियोगी हैं जो मतदाताओं के हाथों स्पष्ट अस्वीकृति का एक संकेतक के रूप अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाए।

❖ **चुनाव सुरक्षा जमा (जमानत राशि)**

➢ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक निश्चित सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य है।

➢ संसदीय चुनाव लड़ने के लिए, राशि 25,000 रुपये है और विधानसभा चुनाव में 10,000 रुपये है।

➢ यह राशि चुनाव आयोग के पास जमा की जाती है और इसे चुनाव में सुरक्षा जमा कहा जाता है।

➢ चुनाव लड़ने के लिए केवल सीरियस उम्मीदवारों के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए जमा राशि अनिवार्य है।

➢ भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष संसदीय और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कई प्रयास करता है।

➢ सुरक्षा राशि जमा करने की प्रक्रिया इन प्रयासों में एक है।

➢ यदि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध वोटों की कुल संख्या के 1/6 भाग से कम वोट मिलते हैं, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

➢ इसका अर्थ यह है कि जिस उम्मीदवार ने 25,000 रुपये या 10,000 रुपये या कोई अन्य राशि जमा की थी, उसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे वापस नहीं किया जाएगा।

वर्मिन

❖ **सन्दर्भ**

➢ हाल ही में, राज्य सभा ने वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया। इस विधयेक के द्वारा प्रजातियों को वर्मिन घोषित करने के लिए केंद्र को दी गई व्यापक शक्तियों की जाँच को संदर्भित किया गया है।

❖ **मुख्य बिंदु**

➢ इस मुद्दे पर सदन में व्यापक मतभेद देखने को मिला। जहाँ केरल के सदस्यों ने राज्य में जंगली सूअर के हमलों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला, वहीँ अन्य सदस्यों ने किसी प्रजाति को वर्मिन घोषित करने की केंद्र सरकार को दी गई शक्ति पर अधिक संयमित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मांग की।

❖ **वर्मिन के बारे में**

➢ वर्मिन का अर्थ ऐसे जंगली जानवरो से है जिन्हे हानिकारक माना जाता है।

➢ यदयपि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 'वर्मिन' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।परन्तु इसकी अनुसूची V में चूहों, कौओं और लोमड़ियों सहित 'वर्मिन' नामित जानवरों की एक सूची है।

➢ अधिनियम की धारा 62 केंद्र को किसी भी प्रजाति के जंगली जानवरों को किसी भी क्षेत्र में और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए 'वर्मिन' घोषित करने का अधिकार देती है।

➢ इन जानवरों को अनुसूची V में सम्मिलित माना जाता है, जिससे उनका शिकार किया जा सकता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

➢ 1972 के बाद से, WLPA ने कुछ प्रजातियों - फल चमगादड़, आम कौवे और चूहों - की वर्मिन के रूप में पहचान की है।

➢ **निम्नलिखित प्रजातियों के अतिरिक्त किसी भी प्रजाति को वर्मिन घोषित किया जा सकता है -**

- प्रजातियां जो WPA1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं।
- प्रजातियां जो डब्ल्यूपीए 1972 की अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध हैं।

» **इस सूची से बाहर के जानवरों को मारने की अनुमति दो परिस्थितियों में दी गई -**

- डब्ल्यूएलपीए की धारा 62 के तहत, पर्याप्त कारणों को देखते हुए, उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त प्रजातियों (जैसे बाघ और हाथी परन्तु जंगली सूअर या नीलगाय नहीं) के अलावा अन्य किसी भी प्रजाति को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित स्थान पर वर्मिन घोषित किया जा सकता है।
- डब्ल्यूएलपीए की धारा 11 के तहत, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन किसी जानवर की हत्या की उस स्थिति में अनुमति दे सकता है, जब वह "मानव जीवन के लिए खतरनाक" हो जाए।

नई रोशनी योजना

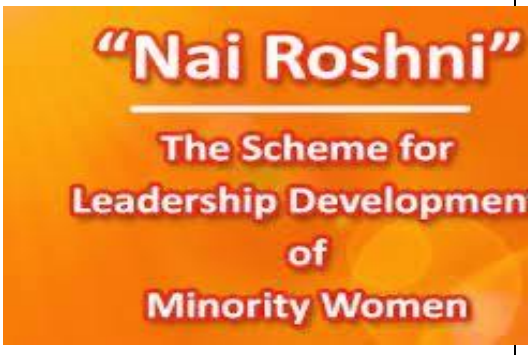

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि नई रोशनी योजना के तहत मंत्रालय द्वारा कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।

❖ मुख्य विशेषताएं

➢ यह 2012-13 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

➢ **नोडल मंत्रालय-** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।

➢ योजना को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। अब, इस योजना को पीएम विकास के एक घटक के रूप सम्मिलित कर लिया गया है।

➢ **यह योजना पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की सहायता से चलाई जाती है।**

➢ नई रोशनी योजना का उद्देश्य महिलाओ में 'नेतृत्व विकास' कर ,महिलाओं के अधिकारों और हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाकर उनमें विश्वास बढ़ाना है।

➢ यह **18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं** के लिए आयोजित छह दिवसीय गैर-आवासीय/पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

➢ ➢ प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं के लिए कार्यक्रमों से संबंधित क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए समर्थन को कवर करता है।

➢ ➢ नई रोशनी योजना के अंतर्गत **अब तक लगभग 4.35 लाख लाभार्थियों** को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

दाम्पत्य अधिकार

❖ सन्दर्भ

➢ पंजाब राज्य ने जेलों में बंदियों के दांपत्य मुलाकातों की अनुमति दी है।

❖ मुख्य बिंदु

- दांपत्य अधिकार विवाह द्वारा सृजित अधिकार हैं, अर्थात पति या पत्नी का अपने पति या पत्नी के साथ होने का अधिकार।
- जेलों के संदर्भ में, दांपत्य अधिकार से तात्पर्य एक कैदी को जेल की सीमा के भीतर अपने पति या पत्नी के साथ गोपनीयता में कुछ समय बिताने की अनुमति देने की अवधारणा से है।
- संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध आदि के माध्यम से कैदियों के अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- इस कदम ने बंदियों के जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निहित गरिमा को आगे बढ़ाया है।
- हालांकि, राज्य दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि वैवाहिक अधिकार एक अधिकार के बजाय विशेषाधिकार का मामला है।
- अधिसूचना के अनुसार, दांपत्य मुलाकातों के लिए औसत समय दो घंटे होगा, जिसकी अनुमति हर दो महीने में एक बार दी जाएगी ।
- » इसके अतिरिक्त , इस तरह की सुविधा उच्च जोखिम वाले कैदियों, आतंकवादियों, बाल शोषण और यौन अपराधियों, मृत्युदंड के दोषियों, एचआईवी से पीड़ित कैदियों आदि को नहीं दी जाएगी।

स्पिन (SPIN)

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SPIN) लॉन्च करने के लिए एक निजी कंपनी (सोशल अल्फा) के साथ एक समझौता ज्ञापन नवाचार विकास मंच पर हस्ताक्षर किए हैं।

❖ मुख्य बिंदु

- SPIN अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है।
- यह समझौता निम्नलिखित तीन श्रेणियों में सबसे होनहार अंतरिक्ष तकनीक नवप्रवर्तकों और उद्यमियों की बाजार क्षमता को एक्स्प्लोर करने की दिशा में काम करेगी:
  - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और अनुप्रवाह अनुप्रयोग।
  - अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना।
  - एयरोस्पेस सामग्री, सेंसर और वैमानिकी।
- चयनित स्टार्टअप्स को इसरो और सोशल अल्फा दोनों के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उत्पाद डिजाइन तक पहुंच, परीक्षण और बुनियादी ढांचे की मान्यता , बौद्धिक संपदा प्रबंधन, गो-टू मार्केट रणनीतियों और दीर्घकालिक रोगी पूंजी, अन्य तकनीकी के साथ-साथ व्यावसायिक इनपुट के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।

कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य

❖ सन्दर्भ

➢हाल ही में तमिलनाडु के एक अभ्यारण्य से मादा हाथियों का एक 18 सदस्यीय झुंड कौडिन्य अभ्यारण्य में घूमता हुआ पाया गया।

❖ मुख्य बिंदु

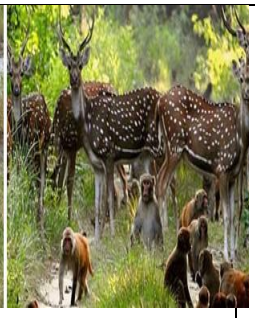

- यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पालमनेर-कुप्पम वन क्षेत्र में स्थित है।
- यह अभ्यारण्य प्रोजेक्ट एलीफैंट (हाथी परियोजना) के अंतर्गत आता है , जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी हाथी संरक्षण परियोजना है।
- यह आंध्र प्रदेश राज्य में एशियाई हाथियों का एकमात्र घर है।
- इस अभयारण्य में एशियाई हाथी संकेतक प्रजाति है।
- यह अभ्यारण्य दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता है, जिसमें कांटों, झाड़ियों और घास के मैदानों के पैच उपस्थित हैं।

यूएनएससी 2593

❖ सन्दर्भ

➢ भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

❖ मुख्य बिंदु

- बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया। वहीँ तुर्कमेनिस्तान का प्रतिनिधित्व वहां के राजदूत ने किया।
- मध्य एशिया को भारत द्वारा "विस्तारित पड़ोस" के रूप में वर्णित किया जाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर इसके प्रभाव पर चर्चा की, "शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित" अफगानिस्तान के लिए मजबूत समर्थन को दोहराया।
- सभी इस पर सहमत थे कि आतंकवादी प्रचार के विस्तार, भर्ती और धन उगाहने के प्रयास क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं, अतः इस सन्दर्भ में एक सामूहिक और समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक है।
- बैठक ने इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अपनाने का भी पुरजोर आह्वान किया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने UNSC संकल्प 2593 (2021) के महत्व की पुष्टि की। यह संकल्प "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों सहित किसी भी आतंकवादी संगठन को अभयदान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए या अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"।
- ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगले वर्ष भारत में शंघाई सहयोग संगठन के बैठक के अंतर्गत के पुनः एकत्रित होंगे।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare